Mr. Deputy-Speaker: Does the mover of the Bill have the leave of the House to withdraw his Bill?

Shri Narendra Singh Mahida: No, Sir. I object to it.

Mr. Deputy-Speaker: All right. The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958, be taken into consideration."

The motion was negatived.

15.49 hrs.

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of section* 24)

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि देश को स्वतन्त्र हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक हमने यह व्यवस्था नहीं की है कि हम अपनी मोटर व्हीकल्स की प्लेट्स पर अपनी मातृ भाषा का इस्तेमाल कर सकें। मुझे आज तक यह भी पता नहीं चला है कि इस मामले में हमने कितनी तरक्की की है। किसी भी देश में यह नहीं होता है कि उस को स्वतंत्र हुए सोलह सत्रह साल हो जायें और वह एक मील भी आगे न बढ़ सके। इसलिये मैं अपने बिल को पेश करते हुए माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज वह इस हाउस को यह विश्वास दिलायें कि इस सम्बन्ध में क्या उन्नति हो रही है।

इस के अलावा मुझे आज तक यह भी पता नहीं लगा है कि हम इस मामले में कुछ आगे हैं या पीछे हैं। कुछ मैं कह नहीं सकता हूं। किस तरह से दूसरे लोग इस को एक दिन के लिये भी बरदाश्त कर सकते हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी कि जर्मनी में हमारी जब एम्बैसी/एग्जीबीशन हुई थी तो जर्मनी के लोगों ने इन्कार कर दिया और कह दिया कि ये जो प्लेट्स हैं या तो ये जर्मन लैंगुएज में लगाई जाये या फिर हिन्दी में लगाई जायें। यह नहीं हो सकता है कि जर्मनी की भूमि पर अंग्रेजी में इस तरह से प्लेट्स लगाई जायें।

हमारे माननीय मंत्री जी बहुत बड़े मंत्री हैं और वह हमेशा अपनी संस्कृति के लिये, अपनी भाषा के लिये तत्पर रहते हैं, रात दिन काम करते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि क्यों यह एक छोटा सा काम वे आज तक जो मैं ने इस बिल में पेश किया है, नहीं कर सके हैं। हमारे देश की यह मर्यादा जरूर रही है कि हम दूसरी भाषाओं को भी सहन करते हैं, दूसरी भाषाओं को भी स्थान देते हैं। लेकिन कम से कम हमारा अपना जो चलन है वह चलन तो हिन्दी में होना चाहिये। मैं तो यहां तक कहूं कि हमारी जितनी भी प्रादेशिक भाषायें हैं, उन सब को हमें अधिकार देना चाहिये कि वहां के लोग अगर चाहें तो उन भाषाओं में भी प्लेट्स लगा सकते हैं। लेकिन आज हो उल्टा ही रहा है। कब तक हम इस बात को सहन करते हुए चले जायेंगे? माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इस के बारे में खुद एक बिल पेश करें। किसी प्राइवेट मैम्बर के द्वारा बिल पेश कर देने से यह काम नहीं हो सकता है और यह काम चल नहीं सकता है। वह खुद पेश करें। जब वह ऐसा करेंगे तो कम से कम मिनिस्टर्ज की जो कारें हैं, मैम्बर्स की जो कारें हैं, वे तो एक आदर्श देश के सामने उपस्थित करेंगी। तब जनता के सामने एक आदर्श उपस्थित करेंगे कि हम ने जो वादा किया था जनता के साथ उस वादे को हम लोग पूरा कर रहे हैं।

कौन देश है जो इस तरह की बातों को बरदाश्त कर सकता है । मैं नहीं समझता हूं कि कोई देश बरदाश्त कर सकता है । हमारे देश को आजाद हुए सतरह साल हो गये हैं लेकिन आज भी लोग ऐसे यहां हैं जो उस भाषा को अपनाना नहीं चाहते हैं, उस भाषा से नफरत करते हैं । ऐसी अवस्था में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ सकता है । मुझे याद है कि जिस दिन बर्मा आजाद हुआ उसी आधी रात को वहां का काम काज बर्मी भाषा में होने लग गया । जिस दिन लंका आजाद हुआ उसी आधी रात को सिंघली भाषा में वहां काम शुरू हो गया । मेरी बदकिस्मती है, हमारे इस देश की बदकिस्मती है कि जिस छोटी सी चीज को पहले ही दिन से शुरू कर दिया जाना चाहिये था वह काम आज तक नहीं हो सका है । माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें ।

मैं उन को यह भी बतलाना चाहता हूं कि मैं इस तरह का आदमी नहीं जो बिल पेश करने के बाद उस को वापिस ले लें । "रामोद्विर्न विभाषते" । राम के वंशज एक बात को कह कर वापिस नहीं लेते हैं । इस वास्ते वह मुझ से यह उम्मीद न करें कि मैं इस बिल को वापस ले लूंगा । वह इस सदन को यह विश्वास दिलायें कि वाकई इस मामले में आज तक जो शिथिलता रही है उस शिथिलता को दूर किया जाएगा और कम से कम मिनिस्टर लोग, एम० पी० लोग और वे लोग जो कि अपने आप को रचनात्मक कार्यकर्ता कहते हैं, इस में पहल करेंगे ।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, be taken into consideration."

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): Sir, I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th December, 1965." (1)

Mr. Deputy-Speaker: Both the original motion and the motion for circulation are now before the House. One hour is the time allotted for this Bill.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, Shri Yashpal Singh is one of my most dear friends in this House. He is also one of the most active Members of this House. He is also one of those persons who will not let go any occasion to lose his hold on the proceedings of this House. Sir, there are two persons to whom I look up as models. One is Dr. M. S. Aney who sits in the House from 11.00 A.M. to 5.00 P.M., and the other is Shri Yashpal Singh who also sits here throughout the day. They are our model legislators.

Now, this is a very simple Bill, a very harmless Bill and I hope the hon. Minister will not suffer from that negative complex from which all ministers suffer whenever we come to these Private Members' Bills. Sir, I read a play in English. It was about a lady. She was a spinster. It was said about her, and she also agreed with the remark, that she missed her chance of marriage because she was used to saying 'no' every time. These ministers somehow have got the habit of that spinster. They have also got the habit of saying 'no' to whatever Bill a private Member brings forward.

Shri Khadilkar (Khed): What habit do widowers have?

Shri D. C. Sharma: Sir, it is a very unfortunate thing. One of the reasons given is that Members should not press a Bill because it is a small Bill. As it does not deal with the question as a whole, they should wait for some time and after some time the ministers themselves would bring forward a comprehensive Bill.

15.57 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

Madam, I have been in this House for the last so many years. I think

[Shri D. C. Sharma]

Shri Satya Narayan Sinha, who is not here, should go through the proceedings of this House and find out how many ministers have promised comprehensive Bills on certain subjects and how many of them have brought forward those Bills. If he does that he will find that the performance of the ministers is not very good. They promise one thing and they do something else. Of course, they are all very good people—I know—but they want to evade the responsibility which is thrust upon them by a private Member in the matter of a Bill or Resolution by saying that he should wait for some time and that they would bring forward a very comprehensive Bill. This 'comprehensive Bill' never comes. This 'comprehensive Bill' may come some day when the private Member is in the other world or has gone, not to Rajya Sabha but, to parloksabha. This is a very unfortunate state of affairs.

Shri Yashpal Singh says that registration marks should be displayed in Hindi or in any other language enumerated in the Eighth Schedule of the Constitution of India. You can have registration marks in the Punjabi language. In some States of India registration marks are put in the language of those States. I had been to some States and I have found that the States are doing it. But you require a kind of regulation or order from the Central Government to do it.

Madam, Hindi and our other languages are having a very bright future. We have adopted all the 14 languages as the medium of examination at the UPSC level. What more do you want? It means we have placed them on a par with each other. We have done so in the case of UPSC examinations. We have done so in the case of other things. But when it comes to the question of showing the number of vehicles we say we cannot display the number of the vehicles in Hindi or in any other language. Shri Yashpal Singh gave the instance of West Germany. I will give you another instance. An Indian Ambassador went to present his credentials to a foreign government, and he took those credentials in the language of the King of England, that is, English. The Head of that State refused to accept those credentials. He asked him: "Have you no language of your own? Is your country so barren of languages that it has no language of its own? I will not accept these credentials in the language of another country. You should bring credentials in a language of your own country."

16 hrs.

Shri Ranga (Chittoor): Why are you speaking in English then?

Shri D. C. Sharma: I am speaking in English so that you would be able to understand it. I do not know your language or Rajasthani. Therefore, I am speaking in a language which the Minister, Shri Balmiki and yourself can understand.

So, I would submit very respectfully that this noble Rajput from the noble State of Uttar Pradesh and from the noble constituency of Saharanpur should be given credit for putting forward this noble idea in this noble Bill and I am sure my hon. friend, Shri Raj Bahadur, who is also a noble Kayastha from the noble State of Bharatpur will agree to this and he will bless Thakur Yashpal Singh. Thakur Yashpal Singh will then be very happy.. Yesterday, he was very unhappy. Today we have to make him happy. Unhappiness will lead to happiness and happiness will lead to unhappiness. Yesterday he was unhappy. I think you are going to make him happy by accepting this Bill. Then, he will be happy and I am sure he will forget whatever happened yesterday. So, with all my heart and, perhaps, my head I support this Bill.

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): The object of the mover of the Motor Vehicles (Amendment) Bill 1965 is quite nationali Section 24(3)

of the Motor Vehicles Act, 1939 read with Sixth Schedule of the Act provides for the display of registration marks of vehicles in English. He wants that the registration marks should be in Hindi. As far as that goes, there is no objection. But he says further that the other languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution could also be employed. Suppose the registration number is written in Tamil, Malayalam or Bengali, I do not think a police man in Delhi will be able to take down the number of the vehicle if it meets with an accident or violates the traffic rules. In the same way, if the number is written in Punjabi in a vehicle plying in Calcutta, the police man there will not be able to note down the number of the car. This will create confusion. So, I suggest that the number in English should be still continued. If anybody so desires, the number can be mentioned in Hindi as well.

Suppose we take one of our cars to a foreign country. We can hardly expect an American or European to know any of the Indian languages. So, we should not rush to make suggestions whereby our Acts will be considered foolish by foreign countries, leave alone the people of India.

The idea behind this Bill is to bring forward Hindi. But it will create more confusion. So, my suggestion is, if any person so desires, he can write it in Hindi in addition to writing it in English, on the analogy of what we are doing in the House here, talking in either Hindi or English. I would, therefore, request the hon. mover to accept the amendment that along with English Hindi may also be used. The usage of other languages in the number plates is bound to create confusion and so should not be attempted.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : सभापति महोदय, श्री यशपाल सिंह ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह उन्हों ने बड़ी सूझ बूझ का काम किया है और उन्हों ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस में उन्हों ने अंग्रेजी को हटाया नहीं है। उन का कहना यह है कि :

"Provided that it shall not be an offence, if the owner of the vehicle so desires, to display the registration mark in—

(a) Hindi; or

(b) Hindi and any other language enumerated in the Eighth Schedlle of the constitution of India."

उन्हों ने कहा है कि यहा अंग्रेजी को हटाने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी चाहता है कि हिन्दी में भी अपनी नम्बर प्लेट लगाये तो वह ऐसा कर सकता है।

इसी के साथ साथ उन्हों ने यह भी बताया है कि जो प्रादेशिक भाषायें हैं उन में भी हो। इस का मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि इस चीज को संविधान में स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही यह भी कहा गया है कि जो प्रादेशिक भाषायें हैं उन की उन्नति हो। इसलिये मोटर रखने वाले जो लोग हैं अगर वह चाहें तो हिन्दी में या प्रादेशिक भाषाओं में अपने नम्बर प्लेटों को रख सकते हैं। ऐसा करना कोई गैर-मुनासिब बात नहीं है। जो यह कहा जाता है कि जो मोटर रखने वाले हैं दिल्ली में और वहां की पुलिस अन्य भाषाओं को नहीं जानती है, तो यह कोई अच्छी दलील नहीं है। अगर उन की कारें कलकत्ता या बम्बई में जायें तो वहां के लोग उन की भाषाओं को नहीं समझ पायेंगे यह कोई दलील नहीं है। जहां समझ सकेंगे वह तो समझेंगे। साथ ही सब लोग यह कहते हैं कि हिन्दी भाषा जो है, जो प्रादेशिक भाषायें हैं, उन का प्रचलन हो। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : सभापति महोदय, श्री यशपाल सिंह जी ने जो छोटा सा विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता

[श्री बाल्मीकी]

हूं । आज जैसी स्थिति देश की है उसमें हम भाषा के झगड़ें में पडे रहें तो यह उचित प्रतीत नहीं होता है । फिर भी जब देश सारे संसार में अपना सर्वमान्य स्थान प्राप्त कर रहा है तो हमारा लोकतंत्र केवल इस वजह से पीछे पड़ा रहे कि उसकी कोई अपनी भाषा नहीं है, यह बात भी कोई उचित प्रतीत नहीं होती है । आज भी हमारे राजदूत अपने परिचय--पत्र लेकर विदेशों में जाते है । यदि वे विदेशी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में परिचय उन पत्रों को देते हैं तो वह अच्छा नहीं लगता है । अगर वह अपनी भाषा में हो तो कुछ ज्यादा सुन्दर प्रतीत होता है । अभी तक मैं नहीं समझता हूं कि 17 वर्ष के सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी हम अपनी भाषा को निश्चित करने में बहुत अधिक आगे जा पाये हैं जिस को सारा संसार समझ सके जहां तक हिन्दी के स्थान और हिन्दी की संवैधानिक स्थिति का सवाल है, उस ने अपना स्थान प्राप्त किया है और कर रही है । किसी के मस्तिष्क में कोई भी विचार हो, वह दूसरी बात है, लेकिन जहां तक हिन्दी की अपनी उन्नति और अपने स्थान का प्रश्न है, वह प्रश्न आ रहा है ।

कुछ भाई हमारे ऐसे भी है यहां सदन में भी और बाहर भी जिन के मस्तिष्क में यह विचार आया हुआ है कि एक विदेशी भाषा, जो यहां विदेशी प्रभाव से पनपी है, जिस ने इतनी उन्नति की है, किसी आधार पर केवल उसी के द्वारा बुद्धिमत्ता प्रदर्शित होती है । मैं समझता हूं कि हिन्दी भाषा, चाहे वह कैसी भी हो, वह बन रही है और अपना स्थान प्राप्त कर रही है । इस के सम्बन्ध में यह सोचना कि वह बुद्धिमत्ता प्रदर्शित नहीं कर सकती है, मैं इस प्रकार के विचार को युक्ति संगत नहीं मानता हूं । हम इस विचार के हैं कि हिन्दी एक ऐसी भाषा है कि जिसका अपना स्थान है । उस को और बढ़ना चाहिये और इसी में देश का भला है । हिन्दुस्तान की अधिकतर जनता, साधारण से साधारण जनता के आदमी उसे समझते हैं । आज लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो विद्यार्थी बैठते हैं वे संविधान के परिशिष्ट 8 में लिखी सभी 14 भाषाओं में अपने परीक्षापत्र प्राप्त कर सकते हैं और उनमें बैठ सकते हैं ।

श्री शर्मा जी ने अभी एक मिसाल दी थी लेकिन मैं उसको तर्कसंगत नहीं मानता । मैं उतनी दूर नहीं जाता लेकिन इतना जरूर सोचता हूं कि अगर एक स्थान पर 14 नारियां इकट्ठी कर दी जायें तो वह शांत नहीं रह सकेंगी । भारतीयता की दृष्टि से उनमें अक्सर लड़ाई चलेगी । जो परि-पक्व भाषा का स्थान होता है आज वह हिन्दी को प्राप्त हो ।

जहां तक इस विधेयक द्वारा किये गये संशोधन का प्रश्न है, उन्होंने साफ तौर से यह कहा है कि जब पंजीकरण होता है तो पंजीकरण की स्थिति में अभी तक अंग्रेजी का प्रयोग होता है । उस में हिन्दी का भी प्रयोग हो सके । आज चाहे किसी भी प्रकार की वेहिकल हो, किसी प्रकार की मोटरें हों, या कारें हों, उन पर जो नम्बर प्लेट लगी होती हैं वह अंग्रेजी में ही रहें ऐसी बात नहीं है । अगर उन वैहिक्ल्स के मालिक यह चाहें कि उन के नम्बर प्लेट्स हिन्दी में हों अथवा अन्य किसी प्रादेशिक भाषा में हों तो उसमें क्या आपत्ति है ? उसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । आज की स्थिति में हमारे वैहिकल्स चाहे वह इस देश की धरती पर चलें या विदेशी धरती पर चलें उस में कोई अन्तर नहीं पड़ता है । यदि हम आज बाहर अपनी भाषा को लेकर जाते हैं तो दुनिया हमें सम्मान की दृष्टि से ही देखती है । क्योंकि एक स्वतंत्र देश की अपनी भाषा होना नितांत आवश्यक है । मैं समझता हूं कि हमारे यहां के हजारों

मजदूर व साधारण आदमी जो कि आज यहां पर भी है और काफ़ी वह विदेशों वगैरह में जाते हैं, वे अंग्रेजी इतनी जानते नहीं है तो भी किसी न किसी प्रकार काम चला लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से वह काम चला करता है। जहां विभिन्न देशों में मोटरों पर के नम्बर प्लेट्स पर जो अंक उन पर अंकित होते हैं वह संसार के किसी भाषा के हैं तो अब ऐसा भी प्रचलन हो सकता है कि हिन्दी अंक के नम्बर प्लेट्स भी लगने लग जायें और हिन्दी भी दुनिया के मंच पर जोकि उसका स्थान होना चाहिए था उसे प्राप्त कर सके।

यह बात निर्विवाद है कि हिन्दी संसार कि एक बड़ी समृद्ध भाषा है। संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी भी उसकी पुत्री होने के नाते जो उसे सर्वगुण सम्पन्नता प्राप्त हुई है वह संसार में अपना उचित स्थान ले रही है लेकिन जब मैं इस देश में एक हिन्दी के प्रति उपेक्षा का रुख देखता हूं तो मुझे बड़ा ही दु:ख होता है। संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं की जननी है और अधिकतर भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं और सभानेत्री महोदया आप तो संस्कृत की प्रकांड पंडित हैं और आप यदाकदा हिन्दी का प्रयोग भी करती रहती हैं। मैं चाहूंगा कि जब आप फिएट कार लें तो उसकी नम्बर प्लेट पर हिन्दी के अंक अंकित होने चाहियें। मैं नहीं समझता कि हिन्दी के शब्द अंकित कराने में उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति होगी। मैं तो समझता हू कि यह नम्बर प्लेट्स केवल हिन्दी में ही नहीं अपितु अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी रक्खी जा सकती हैं। अब जहां तक उनके पढ़ने का सम्बन्ध है और यह समझा जाय कि उसमें एक बड़ा झंझट पड़ेगा एक बड़ी दिक्कत होगी तो ऐसी तो कोई बात है नहीं लेकिन मुसीबत यह है कि केवल अंग्रेजी के शब्द ही कुछ ऐसे आंखों में जम गये हैं कि जिससे कि कारण ऐसा सोचा जाता है। ऐसा सोचना हमारी दासता की निशानी है इस अवसर पर मुझे श्री चकवस्त का एक पुराना शेर याद आ रहा है :–

"यह इन्क़लाब हुआ आल में असीरी में।
क़फ़स में रह के हम अपनी सदा भूल गए॥

हमारी अपनी आवाज हमारी अपनी सदा अंग्रेजी में नहीं है हमारी अपनी ध्वनि अंग्रेजी में नहीं है बल्कि हमारी अपनी ध्वनि मातृ भाषा में है चाहे वह प्रादेशिक भाषा हो या विशेषकर हिन्दी हो या संस्कृत हो। जो भी ध्वनि हम सुनते हैं उसमें हमारी भाषा प्रस्फुटित होती है और यह आवश्यक ही नहीं बल्कि वांछनीय है कि उसका प्रयोग हम हर एक क्षेत्र में और मोटर वैहिकल्स के सम्बन्ध में भी अपनायें।

यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है और मैं नहीं समझता हूं कि इसे स्वीकार करने में माननीय मंत्री जी को कोई हिचक होनी चाहिए। मंत्री जी को मैं मानता हूं कि बहुत व्यापक दृष्टि है। उचित तो यह था कि उनकी ओर से इसके स्थान पर कोई व्यापक बिल लाया जाता लेकिन वह नहीं किया जा रहा है और केवल बातों को टालने की उनकी ओर से चेष्टा की जाती है। उनकी दृष्टि तो बहुत व्यापक है लेकिन उसमें व्यवहारिकता नहीं है। वैसे व्यापक बिल लाने की कोई खास जरूरत भी नहीं है और केवल उस सम्बन्धित धारा का संशोधन किया जाना आवश्यक है। जो हमारी गाड़ियों या कारें आदि चलती हुई दिखाई पड़ें उन पर अपनी भाषा लिखी दिखाई दें। मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार करने में मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री रणंजय सिंह (मुसाफिरखाना) : सभानेत्री महोदया, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे मित्र श्री यशपाल सिंह ने कल यहां एक चीज को लेकर जहां एक दृश्य उपस्थित

[श्री रणंजय सिंह]

कर दिया था वहां आज उन्होंने एक बहुत अच्छा विधेयक को उपस्थित किया है । इस में कोई संदेह नहीं है कि जब तक हमारी प्रत्येक चीज चाहे वह कोई भी हो अथवा जब तक हमारी प्रत्येक गाड़ी पर हमारे अपने देश की भाषा का व्यवहार नहीं होता है तब तक यह हमारे देश के लिए एक कलंक का विषय है । हिन्दी इतनी वैज्ञानिक, सुन्दर सपष्ट और सरल भाषा है कि उसे किसी के लिये भी बहुत थोड़े समय में सीखना आसान है और उसके लिए यह दलील देना कि हिन्दी के नम्बर प्लेट्स पुलिस वाले पढ़ नहीं सकेंगे, जान नहीं सकेंगे यह सचमुच में एक आश्चर्यजनक बात है जोकि समझ के परे है । हिन्दी को लागू हुए काफ़ी समय बीत चुका है और अब तक सब को उसे समझ लेना चाहिए था । यहां पर जो प्रश्न है वास्तव में वह भाषा का उतना नहीं है जितना कि लिपि का है । अब नागरी लिपि बड़ी सुन्दर है सपाट है इसमें कोई दो राय नहीं हैं । लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना है कि यहां तो सिर्फ अंकों का प्रश्न पैदा होता है । नागरी लिपि में अंक होगें तो उन्हें पढ़ने में किसी को दिक्कत आयेगी तो मेरा तो कहना यह है कि नागरी अंक जो नहीं पढ़ सकता है तो उसकी बड़ी भारी त्रुटि व दोष है और जो नागरी के अंक पढ़ नहीं सकता है मैं समझता हूं कि उस पुलिस वाले को यह अधिकार ही नहीं कि वह गाड़ियों का निरीक्षण करे और उनको देखे-भाले ।

दुसरी बात यह कही जाती है कि यदि विदेशों में कहीं गाड़ी गई और उस मोटरकार की नम्बर प्लेट हुई नागरी लिपि में तब विदेशों में कैसे चल सकेगी तो यह तो एक मोटी सी बात है । अब जहां कहीं भी आप जावेंगे, बहुत से देश हैं, भिन्न-भिन्न भाषायें हैं भिन्न-भिन्न लिपियां हैं और अगर हम जापान में गाड़ी अपनी लेकर जायें तो क्या अंग्रेजी उसी प्रकार से मानी जायगी ? इसी तरह यदि हम स्विटजरलैंड में जायें या जर्मनी में जायें, रूस में जायें तो क्या वहां अंग्रेजी उसी प्रकार मानी जायगी ? इसी तरह से चीन में हम जायं वैसे तो हमारी शत्रुता चल रही है लेकिन अगर हम बढ़ते ही उपर चले जायं तो क्या वहां अंग्रेजी को माना जायेगा? अब इसके लिए तो हमें यह करना होगा कि अपनी नम्बर प्लेट ऐसी रक्खें जिसमें दुनियां भर की जितनी भाषाएं हैं, जितने लिपियां हैं सब उनमें लिख कर रक्खें ताकि हम कहीं भी जा सकें । इस-लिए यह कोई ऐसा विघ्न नहीं है और यह कोई ऐसी बाधा नहीं पड़ती है । हम अपने देश की लिपि में जोकि संविधान से समर्थित है, स्वीकृत है उसमें लिख कर हम उन नम्बरों को और उन अंकों को लेकर अगर चलते हैं तो मैं नहीं समझता कि सरकार को उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए । सरकार को तो प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार कर लेना चाहिए । आज देश में कितनी ही गाड़ियां चल रही हैं, देश के प्रत्येक भाग जाती हैं, में ने नहीं देखा कि उनमें कहीं हिन्दी की नम्बर प्लेट होने पर आपत्ति की गई हो अथवा यह कहा गया हो कि हिन्दी के नम्बर प्लेट लगा कर यहां गाड़ी न लाई जावे । लेकिन अगर कहीं ऐसा होता भी हो तो उचित नहीं है । इसलिए इस बात को अनिवार्य आवश्यकता को समझते हुए इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार को इसे स्वीकृत करने के लिए अपनी सलाह दे या फिर स्वयं मंत्री जी इस विधेयक को स्वीकार करके जो चिन्ता की बात हो जाती है उस चिन्ता को दूर करके भारत के लिए गौरव की बात प्रदान करें ।

Shri G. N. Dixit (Etawah): The question of Hindi needs no support or argument. I think this only requires that every member of the Government

and every Member of Parliament read Article 351 of the Constitution a little more carefully and try to adhere and implement that provision of the Constitution. It was in 1950 when the Constitution was framed that it was decided that it was the duty of the Union to develop Hindi language in a way that it becomes the national language and is accepted by the whole country. It was a mandatory duty of the Union? What is the Union? The Union consists of three limbs: Executive, Legislature and Judiciary. It was the duty of every Member of Parliament, it was the duty of every Minister, it was the duty of every judge, to develop Hindi. How Hindi is to be developed? Hindi is to be developed by its use wherever there is occasion to use it. If Article 351 remains in the mind of every Minister, whether at the Centre or in the States, no argument is necessary in support of Hindi. The real reason is that we have started arguing so far as the Constitution is concerned. Where is the need for arguing today about the Constitution? It was decided by the people of this country through the Constituent Assembly sitting here, and they decided in article 351 what the duty cast on the members of the executive, the legislature and the judiciary was.

Therefore, I say that this Bill which my hon. friend Shri Yashpal Singh has found it necessary to bring forward has been brought forward only because that article had been forgotten or was not in the view of the members of the Government. Therefore, I would only draw the attention of Government towards that article so that they may peruse it and act according to the provisions and the interpretation of that article.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) सभापति महोदया, हमारे मित्र, श्री यशपाल सिंह, ने जो बिल सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता और सरकार को यह कहता हूं कि वह बिना संकोच इस बिल को स्वीकार कर ले।

आज सरकार हिन्दी भाषा की उपेक्षा कर रही है और हिन्दी के प्रश्न को टालना चाहती है। क्या कारण है कि हमारे देश में सभी मोटरों और बसों की प्लेटों पर अंग्रेजी के नम्बर लिखे हुए हैं ? वे हिन्दी में क्यों नहीं लिखे जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब प्लेटों पर हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाये और कानून के द्वारा इस बात को लागू किया जाये। सरकार को एक आदेश निकालना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, उस को सजा दी जायेगी।

आज हम यह भी देखते हैं कि नगरपालिकाओं, प्रन्तीय सरकारों या केन्द्रीय सरकार की ओर से सड़कों पर जो नाम आदि लिखे होते हैं, यह लिखा जाता है कि फ़लां गांव इतने मील दूर है, वे अधिकतर स्थानों में अंग्रेजी में होते है। यह भी देखा गया है कि कई बसों के जगह के टिकट भी अंग्रेजी में छपे होते हैं। समझ में नहीं आता कि जब हमारे देश की भाषा हिन्दी है, तो फिर सरकार जान-बूझ कर उस की तरफ़ दुर्लक्ष्य क्यों कर रही है। वास्तव में सरकार चाहती है कि देश में लोग भाषा के नाम पर फ़िजा को बिगाड़ें और जगह जगह पर दंगे हों। दक्षिण में लोगों को हिन्दी का विरोध करने के लिए उकसाया गया केन्द्र के द्वारा उकसाया गया कि वे इस प्रकार के झगड़े खड़े करें। मैं ने दक्षिण में जा कर देखा है कि वहां पर सब लोग हिन्दी समझते हैं और इस बारे में उनको कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उन को जान—बूझ कर हिन्दी के विरोध में दंगे करने के लिए भड़काया गया। जैसा कि मैं ने कहा है, सरकार हिन्दी के विषय को किसी प्रकार से टालना चाहती है और हिन्दी की ओर उस का विशेष ध्यान नही है।

सड़कों पर नामों के बोर्ड, बसों और कारों की प्लेटों पर नम्बर और बसों की

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

टिकटें हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं में हों, ये बिल्कुल साधारण सी बातें हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने इन की ओर कोई ध्यान नही दिया है । आज देश की जनता इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि बसों और कारों के नम्बर, सड़कों के नाम और बसों के टिकट आदि अंग्रेजी में हों इस विषय में हिन्दी का प्रयोग करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय यह बिल वापस लेने के लिए कहेंगे और उस के बाद अपने बहुमत के आधार पर अस्वीकृत करवा देंगे हमें इस बात का पुराना अनुभव है । इसलिए मैं उनसे बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को स्वीकार कर लें और सारे देश में बसों, टैक्सियों और कारों के नम्बर, सड़कों के नाम और बसों के टिकट हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं में हों । जनता इस विषय में सरकार की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रही है और इस लिए सरकार को इस ओर जल्दी कदम उठाना चाहिए । जब जनता देखेगी कि बसों और कारों के नम्बर, सड़कों के नाम और बसों टिकट हिन्दी में हैं, तो उसको विश्वास होगा कि सरकार उस की सुविधा की ओर ध्यान देती है ।

इस सम्बन्ध में एक विशेष दिक्कत यह भी आती है कि पुलिस वाले और रोडवेज लोग ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं । सरकार ने यह नियम तो नहीं बनाया है कि केवल मैट्रिक-पास लोग रखे जायेंगे इस का परिणाम यह होता है कि लोग ठीक प्रकार से नम्बर नहीं पढ़ सकते हैं मेरा अनुभव है कि पुलिस वाले को पूछना पड़ता कि किसी बस या अन्य गाड़ी का नम्बर क्या है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है सरकार को सारे देश में इन बातों में उस भाषा का प्रयोग करना जिस को जनता समझे;

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं कि सरकार इस को स्वीकार कर ले ।

श्री बड़े (खारगांव): सभापति महोदया, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे मित्र को यह बिल इस सदन में चर्चा के लिए रखने की आवश्यकता पड़ी है । वास्तव में मंत्री महोदय को इसे तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिये । था । यद्यपि मेरी मातृभाषा मराठी है , तो भी मैं महसूस करता हूं कि हमारी एक राष्ट्र-भाषा होनी चाहिए, जो कि हिन्दी हो ।

आज-कल यह परिपाटी हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अंग्रेजी के शब्द सिखाए जाते हैं । एक दिन मेरे पड़ोस में एक लड़की घर आकर कहने लगी कि ममी , आज मुझको मास्टर ने मारा है । उस लड़की ने कहा कि जब मैं ने "टाटा" कहा, तो मास्टर ने कहा कि "टाटा " तो एक कारखाने के मालिक का नाम है, तुमको "टा—टा" कहना चाहिए और जब मैं ने "ममी " कहा, तो मास्टर बोला कि "ममी" तो डैड बाडी होती है , हमको "म—मी" कहना चाहिए । समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चों को "टा टा " और "ममी" कहना क्यों सिखाया जाता है । उन को "नमस्ते " और माताजी कहना सिखाने में क्या हानि है ?

जब मैं इस हाउस में आया, तो मुझे ऐसा लगा कि यह हाउस आफ़ कामन्ज है या हिन्दुस्तान की लोक सभा है, क्योंकि यहां पर उस समय केवल इंगलिश ही इंगलिश चलती थी । बाद में स्वामी रामेश्वरानन्द, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, डा० राम मनोहर लोहिया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री यशपाल सिंह के प्रयत्नों से यहां पर हिन्दी को कुछ प्रचलन हुआ । नव हमारा एटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थिति पत्रक, दोनों भाषाओं में होने लगा ।

आज कल स्थिति यह है कि अगर व्हीकल्ज की प्लेट्स पर इंगलिश नहीं लिखी होती है, तो कोर्ट से सजा होती है । मध्य-प्रदेश में कोर्ट ने एक व्यक्ति को केवल इस लिए सजा दी कि उस की गाड़ी की नम्बर प्लेट हिन्दी में थी । मैं चाहता हूं कि यह धारा सम्बन्धित कानून से निकाल दी जाये । और नम्बर प्लेटों पर शुद्ध हिन्दी का प्रयोग करने की इजाजत दी जाये । मैं मद्रास, कोचीन, और विशाखापत्तनम आदि स्थानों पर हो आया हूं । वहां अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं के बोर्ड होते हैं । वहां की भाषा का भी प्रयोग किया जाता है । इस लिए यह उचित है कि गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं का प्रयोग किया जाये । चूंकि आंकड़ों में कोई विशेष फ़र्क नहीं है, इस लिए नागरी के आंकड़े प्रस्तुत किये जा जा सकते हैं ।

मैं यह बिल लाने के लिए श्री यशपाल सिंह को बधाई देता हूं । माननीय मंत्री जी को इस बारे में ज्यादा विचार न करते हुए इस बिल को स्वीकार कर लेना चाहिए । यदि वह समझते हैं कि हिन्दी भाषा जा रही है, नष्ट हो रही है, तो मैं मराठी के कुछ श्लोक उन को पढ़ कर सुनाता हूं ।

> म्हणताल जे मराठी भाषा होणार ही असें नष्ट ।
> मिलणार काम करुनी व्यर्थ निमाब कचवावपा कष्ट ।
> त्यांना हैंच पुसांकि मरनणोन्मुख होय आपुली माय ।।
> म्हणूनी औषध कांहीं पुत्री देऊं नये तिला काय ।
> माता तुषी स्वभाषा सेवाय होम आपणा उचित ।
> किंवहुना मातेहुनि अधिक हिची योग्यता असे खचित ।।

इसका अर्थ यह है कि मातृ-भाषा की योग्यता मां से भी ज्यादा है । इसलिए हिन्दी हमारी माता से भी ऊंची है ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को स्वीकार करें ।

श्री गौरीशंकर कक्कड़ (फ़तेहपुर) : सभापति महोदया, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस तरह का संशोधन विधेयक यहां पर लाने की आवश्यकता हुई । सही बात तो यह है कि हमने अपने संविधान में जो कुछ स्वीकार किया है, उस के ही अन्तर्गत इस तरह का संशोधन विधेयक तो सरकार को स्वयं लाना चाहिए था । हम ने अपने संविधान के आर्टिकल 343 में यह स्वीकार कर लिया कि हिन्दी हमारी आफिशल लैंग्वेज होगी । उस के बाद आर्टिकल 351 में हम ने यह स्वीकार किया है कि :

> "It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment......"

माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह, ने जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया है, वह बहुत साधारण है । इस में केवल यह प्रोवाइजो बढ़ाने के लिए कहा गया है:

> "Provided that it shall not be an offence if the owner of the vehicle so desires, to display the registration mark in Hindi or Hindi and any other language enumerated in the Eighth Schedule of the Constitution of India."

यह एक बड़े खेद की बात है कि जिस भाषा को हम ने नेशनल लैंग्वेज स्वीकार किया है, उस भाषा का अगर हम अपनी मोटर-गाड़ियों की प्लेटों में प्रयोग करते हैं,

[श्री गौरीशंकर कक्कड़]

तो वह जुर्म बन जाये, अपराध बन जाये। जब हमने हिन्दी और चौदह रिजनल लैंग्वेज को अपने संविधान में स्थान दिया है, उन को नेशनल लैंग्वेजिज मान लिया है, तो संविधान में दी गई व्यवस्था की पूर्ति करना अन्यन्त ही आवश्यक है।

अभी पिछले साल यह देखा गया है कि केवल इसी बिना पर कि हिन्दी में प्लेट्स थीं, कई जगहों पर काफी बड़ा झगड़ा हुआ है और लोगों को सजायें तक दी गई हैं। ऐसी बात पर सजा दी जाए कि एक उस भाषा का प्रयोग किया गया है मोटर की प्लेट पर तो भाषा की स्वीकृति है, जिस भाषा को कि मान्यता प्राप्त है, बहुत ही खेद का विषय है कि, बहुत ही आश्चर्य का विषय है। महोदया, मैं आप के द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भाषा संविधान में स्वीकृत हो चुकी हो उसकी पूर्ति के लिए इस संशोधन को स्वीकार करें।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर): सभापति महोदया, यह जो बिल लाया गया है, इसका मैं समर्थन करना चाहता हूं। अच्छा होता कि इसकी पूर्ति बहुत पहले हो जाती, इस चीज को बहुत पहले कर दिया जाता। मुझे एक बात याद आती है। बात बहुत पुरानी है लेकिन मैं उसको यहां बतलाना चाहता हूं। 1940 की बात है। मैं शिमला से बम्बई जा रहा था गाड़ी में। मेरे कम्पार्टमेंट में मेरे साथ एक जापानी साथी बैठा हुआ था। वह जापानी एसैम्बली में काम करता था। मैं अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसने मुझ से पूछा कि मैं डायरी में किस भाषा में लिख रहा हूं। मैं अंग्रेजी भाषा में लिखा करता था। जब मैंने तो उसको कहा कि अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूं इस पर उन्होंने कहा कि आप अपनी डायरी भी अंग्रेजी में लिखते हो, अपनी मातृभाषा में मैं क्यों नहीं लिखता हूं। उनको यह देख कर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं एक विदेशी भाषा में डायरी लिख रहा था। उस वक्त तो मैंने कह दिया कि एक आदत हो गई है अंग्रेजी में लिखने की लेकिन उस के बाद से हमेशा मैं ने अपनी डायरी अंग्रेजी के बजाय अपनी मातृभाषा मराठी में लिखनी शुरू कर दीया।

यहां पर जब बात होती है कि अंग्रेजी को निकाला जाए या न निकाला जाए तो 95 प्रतिशत लोग जो अंग्रेजी जानते हैं वे यही कहते हैं कि अंग्रेजी को न निकाला जाए या इस को बनाए रखा जाये। इस अंग्रेजी भाषा ने हमारे दिमागों को जिस प्रकार से पिछले 18 बरसों से जकड़ रखा है, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं हुआ है इसको निकालते हुए हमें डर मालूम होता है। है। कांस्टीट्यूशन में जो हमने इसके बारे में व्यवस्था कर रखी है, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। अंग्रेजी की अवधि समाप्त हो चुकी है लेकिन उसका स्थान आज तक हिन्दी नहीं ले सकी है, यह बड़े शर्म की बात है। हम हिन्दी को किसी के ऊपर लादना नहीं चाहते हैं। हम तो यह कहते हैं कि इन प्लेट्स को हिन्दी में लिखो, मराठी में लिखो, तमिल में लिखो, किसी भी लिपी में चाहो लिखो, उस के साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप यह भी कह सकते हैं कि जो एसोसिएट लैंगुएज अंग्रेजी है और जो अभी तक रहने वाली है, उसमें भी लिखी जायें।

हिन्दी को राष्ट्र भाषा मान लिया गया है। हिन्दी को आफिशियल लैंगुएज मान लिया गया है। कांस्टीट्यूशन में जो व्यवस्था की गई है, उसे आप बन्धे हुए हैं। उस में लिखना शुरू करो। मेरे भाई यशपाल सिंह

जी ने इस बिल को यहां पर लाकर एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है । आप इन प्लेट्स तक को न तो हिन्दी में लिखने देते हैं और न ही किसी दूसरी भाषा में । आप यही कहते हैं कि अंग्रेजी में लिखो । अंग्रेजी का जो मोह है इसको छोड़ना होगा । यह मोह चल नहीं सकता है । हम को जो स्वराज मिला है इसका सच्चा आनन्द, सच्चा स्वागत तब तक हम को प्राप्त नहीं हो सकता है । जब तक कि हम अपनी भाषा में काम शुरू नहीं कर देते हैं । अपनी भाषा को अपना नहीं लेते हैं । इस अंग्रेजी के मोह को हमें छोड़ना होगा । एकबार हम ने इस अंग्रेजी को अपने दिमागों से निकाल दिया तो हमारे दिमाग साफ हो जायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : सभानेत्री महोदया, इस विधेयक के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं शुरू से ही बिनती करूंगा कि उसके मूल तत्व के उपर विचार करें क्योंकि मैंने देखा है कि बहस के दौरान में कुछ मौखिक प्रश्न भी उठा दिये गये हैं भाषा सम्बन्धी । मेरी अपनी धारणा ऐसी है कि इस विधेयक के द्वारा हम कोई भाषा का प्रश्न यहां हल नहीं कर रहे हैं और न ही इस पर विचार कर रहे हैं । केवल मोटर की नम्बर प्लेट्स देवनागरी लिपि में हों, हिन्दी में हों, इसी को इस बिल में करने के लिए कहा गया है । देवनागरी लिपि में हों या अथवा अंग्रेजी में हों यह प्रश्न उठाया गया है । जो कुछ मोटर गाड़ियों के ऊपर हम रजिस्ट्रेशन का नम्बर देते हैं, रजिस्ट्रेशन के अंक अथवा अक्षर देते हैं उनका तात्पर्य क्या है, इसको आप देखें । तात्पर्य केवल भाषा से सम्बन्धित हो, यह बात नहीं है. । तात्पर्य प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रबन्ध से है । भाषा के प्रश्न पर हम बहस नहीं करेंगे । यह अपनी जगह पर है । प्रशासनिक व्यवस्था पर, प्रशासनिक प्रबन्ध पर, सुविधा पर, सहूलियत पर ही हम विचार करेंगे । आप कल्पना कीजिये कि यदि इस विधेयक को मान लिया जाए और जितनी हमारी भाषायें हैं चौदह उनकी और लिपियां हैं, सब की सब अगर हम मोटरों की प्लेटों पर लिखना शुरू कर दें तो वह संख्या पट्टिका नहीं रहेंगी । नम्बर प्लेट नहीं रहेगी । बल्कि एक ब्लैकबोर्ड लेकर चलना पड़ेगा । और चौदह भाषाओं में चौदह लिपियों में हमें वह लिखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा मोटर यान , हमारी मोटरगाड़ी काश्मीर से कन्याकुमारी तक चले अथवा कच्छ से कामरूप तक चले । तो देवनागरी में लिखी हुई एक पट्टिका शायद तमिल प्रदेश में अथवा कन्नड़ प्रदेश में अथवा तेलेगु प्रदेश में नहीं पढ़ी जा सकेगी ।

हमारे बड़े साहब ने कहा है कि उनकी मातृभाषा मराठी है किन्तु वह हिन्दी का समर्थन कर रहे हैं । उनकी मातृभाषा तो मराठी है, यह ठीक है, लेकिन लिपि तो उनकी भी देवनागरी ही है, इसलिए कोई अन्तर अधिक नहीं होता है ।

श्री बड़े : मद्रास में तो स्टेशनों पर बोर्ड हिन्दी में भी हैं और तमिल में भी ।

श्री राज बहादुर : यदि आप चाहें तो एक मोटरगाड़ी के ऊपर जो नम्बर प्लेट लगाई जाए उस में अंग्रेजी भी साथ में हो तो समझ लीजिए कि चौदह भाषाओं के साथ साथ एक अंग्रेजी भी हो गई ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अंग्रेजी खत्म कर दो ।

श्री राज बहादुर : अगर भाषा का का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो मैं आप से

[श्री राज बहादुर]

बिनती करूंगा कि दूसरा विधेयक आप लायें, दूसरी किसी व्यवस्था को आप करें तो शायद ठीक होगा ।

Shri Warior (Trichur): These figures are not English; they are Arabic. Why are we fighting about English now?

Shri Raj Bahadur: This was the information of the hon. Member. They are international form of Indian numerel.

Shri Ranga: Whatever is sensible does not make any sense to them.

श्री राज बहादुर : हम जो कुछ भी व्यवस्था कर रहे हैं मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में वह एक सर्वमान्य प्रकार से, सर्वमान्य तरीके से, कर रहे हैं और इस बात का भी ध्यान करते हैं कि इन के पढ़ने में नम्बर के पढ़ने में किसी प्रकार की असुविधा न हो । एक तो सर्वमान्य तरीका हो जिस को सब मान लें और दूसरे यह जिसको सारे राज्य, सारे प्रदेश मान लें ।

कसेंसस शब्द बार बार आता है । जहां इस सम्बन्ध में हम बात करते हैं वहां और भी अधिक बातें आ जाती हैं । क्योंकि एक पुलिस ट्रैफिक का कांस्टेबल है जोकि मद्रास में खड़ा है, अगर कोई गाड़ी राजस्थान से या मध्य प्रदेश से जाती है तो उनके लिए, यह अत्यन्त दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि वह पढ़ सके अगर केवल देवनागरी लिपि में लिखा हो । इसलिए मैं ठाकुर साहब से बिनती करूंगा कि इसकी गहनता को सोचें । जहां तक भाषा के प्रश्न का सम्बन्ध है यह प्रश्न हम अब तय नहीं कर रहे हैं । उन्होंने कहा है कि बर्मा ने रातों रात जहां अंग्रेजी थी, वहां बर्मी भाषा में काम करना शुरू कर दिया , सीलोन ने रातों रात सिंघलीज में करना शुरू कर दिया । क्या ही अच्छा होता यदि हम भी भारत में ऐसा कर पाते । किन्तु केवल हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों या वहां रहने वाले लोगों की बात होती तो जरा भी इस में न तो कठिनाई होती और न इस में किसी प्रकार की असुविधा होती । बात यह है कि हम चाहते हैं कि अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के हमारे भाई हैं यह इस कार्य में हमारे साथ चलें । इस में कोई शक नहीं, जैसा कि श्री दीक्षित ने कहा कि जो संविधान में यह लिखा गया है कि हिन्दी भाषा को विकसित किया जाये और विकसित करने के उपरान्त उसे इस योग्य बनाया जाये कि वह हर प्रकार से सक्षम हो सके और इस योग्य हो सके कि हमारे कार्य को कर सके । यदि ऐसी बात हो तो इस में कोई सन्देह नहीं कि दो रायें नहीं हो सकतीं । किन्तु यह प्रश्न उन के तय करने का है । जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है और उन को साथ लेकर हमें चलना है । जो भी आश्वासन भाषा के सम्बन्ध में दिये गये हैं, जो हमारी राष्ट्रीय नीति है और जिस राष्ट्रीय नीति के साथ समूचे राष्ट्र को चलना है, निस्सन्देह हमें उसे ध्यान में रखना होगा । यदि हम उस को ध्यान में नहीं रखते तो हमने उस के बहुत से दुष्परिणाम देखे हैं । उन की ओर न मैं संकेत करना चाहता हूं और न इस बिनती में उसे लाना चाहता हूं ।

दो ऐसे माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर अपने भाषण दिये और अपने विचार रक्खे जो हिन्दी जानते हैं । एक तो प्रो० शर्मा ने और दूसरे श्री दीक्षित ने दोनों ने बड़ी योग्यता से आंग्ल भाषा में अपने अपने विचार रक्खे । क्या अच्छा होता कि हिन्दी की हिमायत तो कम से कम हिन्दी में हो । लेकिन हिन्दी की हिमायत भी अंग्रेजी भाषा में करने की आवश्यकता अनुभव होती है । यह भी एक बात है । श्री बाल्मीकी ने बहुत सुन्दर ढंग से अपनी बात रक्खी । उस को सुन कर बहुत ही प्रसन्नता हुई । मैं चाहता हूं कि कम से कम हम पहले अपने मानसिक दृष्टिकोण से और मानसिक भावना से इस बात के लिये

उद्यत हो जायें, तैयार हो जायें कि हम हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा और राजभाषा स्वीकार करेंगे बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फसाद के, बिना किसी मतभेद के और बिना किसी थोपा थापी के, क्योंकि यदि हम ने थोपने की चेष्टा की तो जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे, बल्कि लक्ष्य से दूर चलते चले जायेंगे । मैं इस प्रश्न पर अधिक नहीं कहना चाहता ।

माननीय सदस्य ने कहा कि हर प्रश्न के ऊपर मिनिस्टरों का रुख नकारात्मक होता है वह हर प्रश्न पर असहमति प्रकट करते हैं। क्या अच्छा होता कि मैं इस में हां कह सकता । उन्होंने जो नकारात्मक रुख है, नकारात्मक व्यवहार है उस की तुलना की और उपमा दी स्त्रियों से कि स्त्रियां "न" कहती रहती हैं और इस कारण अन्त तक क्वारी रह जाती हैं । हो सकता है कि कुछ बात ऐसी है कि स्त्रियों का स्वभाव नहीं करने का है और मर्दों का स्वभाव हां करने का है । लेकिन यदि केवल स्त्री के स्वभाव और मर्द के स्वभाव पर भाषा और नम्बर प्लेट का फैसला कर दें तो गलत प्रशासनिक फैसले हो जायेंगे ।

श्री बड़े : शेक्सपिअर कहता है :

When women say no they mean yes.

श्री राज बहादुर : स्त्रियों का अनुभव श्री बड़े को मुझ से अधिक है यह मैं स्वीकार करता हूं । शैक्सपिअर ने इस संबंध में चाहे जो कुछ कहा हो, उस को तो मैं कह नहीं सकता लेकिन एक पंक्ति हिन्दी की मुझे याद आ गई इस लिये मैं भी कह देता हूं :

"किसी नहीं में भरी हुई है, हां की एक हिलोर ।"

यह बहुत पुरानी बात सुनी जाती है और बहुत जानी मानी हुई है । क्या अच्छा होता कि प्रोफेसर यहां होते और इन बातों को सुन पाते । लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रश्न के पीछे केवल प्रशासनिक समस्या है जिस को और उलझाया नहीं जाना चाहिये । इसीलिये मैं श्री यशपाल सिंह से विनती करूंगा कि भाषा का प्रश्न एक मौलिक प्रश्न है और इस प्रश्न को उसके अपने स्थान पर हल किया जाये । इस के सम्बन्ध में वहां निर्णय लिया जाये । यह छोटा सा प्रश्न है कि अगर नम्बर प्लेट देवनागरी में हो तो किसी को कोई असुविधा नहीं होगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : तब फिर जिन मोटरों पर हिन्दी में नम्बर प्लेट होती हैं उनका चालान क्यों होता है ।

श्री राज बहादुर : उस का कारण यह है कि अब तक कानून और कानून के अन्तर्गत बने हुए कुछ नियम हैं वह इस प्रकार के हैं कि हम अंग्रेजी अक्षरों में ही लिखें और अंग्रेजी अंकों में ही लिखें । अगर हम उस कानून को तोड़ते हैं तो निश्चय ही कानून मौन नहीं बैठ सकता । हां, कुछ राज्यों ने यह किया है, विशेषकर एक राज्य उत्तर प्रदेश ने, कि उन्होंने अपने नियम बदले हैं और मोटरों के नम्बर प्लेट हिन्दी में भी लिखे जा सकते हैं । अक्षर भी हिन्दी के और अंक भी हिन्दी के ।

16.44 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री बड़े : मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता है ।

श्री राज बहादुर : लेकिन मध्य प्रदेश के अन्दर जब तक गाड़ियां रहती हैं तब तक कोई आपत्ति नहीं है, मगर मध्य प्रदेश से निकल कर अगर वे तेलगू प्रदेश के अन्दर जाती हैं, उड़ीसा में जाती है, बंगाल में जाती हैं, मद्रास में जाती हैं तो वह प्लेटें उन के काम नहीं देंगी । वहां के हिसाब से अगर उन के पास सारे देश का

परमिट है तो वह कानून तोड़ेंगी । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह कठिन प्रश्न है । जैसे जैसे हम भाषा के प्रश्न को हल कर सकेंगे वैसे वैसे यह प्रश्न भी हल हो जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर बिनती करता हूं कि माननीय सदस्य यह न समझें कि मेरी बात केवल नकारात्मक है । मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई बड़ा विस्तृत बिल लाऊंगा और तब विधेयक सदन के सामने रक्खूंगा । यह मेरा कहना नहीं है । मैं यहां पर एक बात और कह दूं कि इस में एक अमेंडमेंट रक्खे जाने का विचार प्रकट किया गया है । अगर उस को मैं स्वीकार भी कर लूं तब भी कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है । आप ने जनमत ले लिया, उसके उपरान्त भी जब तक भाषा का मौलिक प्रश्न हल नहीं हो जाता और उस का कोई हल नही निकल आता उस समय तक आप इस फैसले को कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे । इस लिये इस के कोई माने नहीं रह जाते कि हम इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजने का निर्णय करें। वर्तमान परिस्थिति में जो आज की ठोस हालत है, जो ठोस अवस्था है, हमें उस को देखना होगा और उस के अनुरूप अपना निर्णय करना होगा ।

इसलिये मैं इस बिल से अपनी असहमति प्रकट करता हूं और असमर्थता प्रकट करता हूं इस विधेयक को स्वीकार करने में ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं यह आशा करूं कि यहां पर इस समय कोरम होना चाहिये । जब कोरम न हो तो किसी बोलने वाले को नहीं बोलना चाहिये ।

Mr. Deputy-Speaker: Quorum Bell is being rung. Now there is quorum, the hon. Member may continue

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस यह है कि मैं माननीय राज बहादुर का जो मेरे लिये हुक्म है उसे मानने मे बिल्कुल असमर्थ हूं । इसलिये कि जब हम सत्तरह साल तक एक जरा सा काम नहीं कर सके, एक मामूली सा काम जब सत्तरह साल तक नहीं हो सका तो हम लद्दाख में जा कर, काश्मीर में जा कर, चीन के मुकाबले में जा कर कैसे लड़ेंगे । यह तो एक मामूली सी बात है जो एक घंटे में हल की जा सकती थी, लेकिन अब तक सत्तरह सालों में हल नहीं हुई । मेरे लिये बड़ा मुश्किल है कि मैं गवर्नमेंट की शिथिलता में, कमजोरी में, गवर्नमेंट की नेगलिजेंस में और ज्यादा सहयोग दूं । यह काम सरकार का था कि वह इस काम को उसी वक्त करती । क्या कोई इस बात को आज मान सकता है कि किसी देश ने अपनी भाषा के बगैर अपना डेवेलपमेंट और डिफेंस कर लिया हो । हर्गिज नहीं मान सकता । चीन की तरक्की का राज यह है कि चीन ने यह कानून बना दिया और दीवारों में लिखवा दिया कि यहां अंग्रेजी बोलने वाले को सजा दी जायेगी । आप तो यह कहते रहे कि चीन बैकवर्ड है और चीन ने आज इतना कब्जा कर लिया । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि माननीय मिनिस्टर साहब के जी में क्या है । लेकिन जैसे उन्होंने एक दोहा पढ़ा है वैसे ही मैं भी पढ़ देता हूं :

"होठों पे हंसी अबरू पर है बल,
इनकार भी है, इकरार भी है" ।

कोई वजह नहीं है कि जब उनके दिल में है तो वह इसे मंजूर क्यों नहीं कर लेते । दिल से दिल को राहत होती है । उन के लिये यह क्या अपहिल टास्क है । यह कोई ऐसी बात नहीं है । जब हमने कानून बना रखा है तो अगर ज्यादा न हो तो कम से कम इतनी नालेज तो होनी चाहिये कि कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ सके । अलिफ बे तो पढ़ सकता है ।

बहुत छोटी सी बात है । इसीलिये ग्राप का डेवेलपमेंट फेल हो गया, कि ग्राप की योजनायें उस जबान में ग्राई जिस जबान को 2 फी सदी से ज्यादा ग्रादमी समझते नहीं हैं । इसलिये ग्राप का डेवेलपमेंट फेल हुग्रा कि जब बी० एल० डब्ल्यू० डेवेलपमेंट करने के लिये निकला तो उस का पैंट 150 रु० में सिला हुग्रा था जब कि उस की महीने की तनख्वाह 120 रु० है । इसीलिये यह डेवेलपमेंट फेल हो गया ।

मै एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं ग्रौर वह यह है कि ग्रगर माननीय मंत्री जी मुझे यह ग्राश्वासन दे दें कि दो महीने के बाद ग्रथवा एक महीने के बाद या पन्द्रह दिन के बाद यह बिल लाया जायगा ग्रौर माननीय मंत्री जी उसे मंजूर कर लेंगे तो इसे मै वाकई वापिस कर लूगा वरना यह हाउस के समय को बर्बाद करना होगा । हमें यह नहीं भूलना है कि इस हाउस की एक घंटे की बैठक में हम हजार रुपये खर्च करते हैं ग्रौर उसका नतीजा क्या हुग्रा कि पहले तो उसे पेश किया गया फिर उस पर डिस्कशन हुग्रा ग्रौर बाद में उसे वापिस ले लिया गया ? ऐसा करना तो जनता के रुपयों के साथ खिलवाड़ करना होगा । सरकार जो कुछ भी यहां खर्च करती है वह जनता की जेब से ग्राता है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस बिल के लिए ग्रगर व्हिप न ग्राये, माननीय सत्य नारायण सिंह का व्हिप न ग्राये, हमारे राने साहब का व्हिप न ग्राये जिस बिल के लिए यहां के 80 फीसदी ग्रादमी चाहते हों कि वह बिल ग्राये तो उसे क्यों रोका जाये ? जब 80 फीसदी की ग्रावाज मेरे बिल के साथ है तब उसे स्वीकार करने में मंत्री जी को ग्राखिर क्या ग्रापत्ति है ग्रथवा वे यह बतलायें कि उसमें खामी क्या है ? लेकिन उन्होंने उसमें कोई खामी नहीं बतलाई है । मेरे कहने का मतलब यह है कि हिन्दी की नम्बर प्लेट्स लगाने के लिये ग्रापको एक वातावरण तैयार करना होगा । यह इस देश के लिये कितने बड़े कलंक की बात है कि जिसने इस देश की जबान में ग्रपनी कार में नम्बर प्लेट लगा रखी हों उस को सजा दी जाय ? क्या जो सजा देने वाले हैं उन्होंने ऐसा करके संविधान का उल्लंघन नहीं किया है ? क्या ग्रापका यह कानून कांस्टीट्यूशन के खिलाफ़ नहीं है ? हम तो ग्रापको चेतावनी देते हैं, हम ग्राप के विरोधी नहीं हैं । यह विरोधी का शब्द तो ग्रंग्रेजी का दिया हुग्रा है । यह तो हमें पश्चिम की देन है । दरग्रसल हम तो ग्राप के हितैषी हैं । हमारे यहां साफ़ कहा गया है :—

"सखिम् सखा साधु न शास्ति योधिपम हिताम्र यः संश्रृणुते स किं प्रभुः"। यह हमारा फर्ज है कि हम ग्राप को समझायें ग्रौर हमारी बात इतनी साधारण ग्रौर इतनी सीधीसादी बात है कि वह एक घंटे में हासिल हो सकती है लेकिन उसे भी ग्राप टाल रहे हैं । ग्राखिर इस तरीक़े से एक घंटे हाउस का समय लेने के बाद इसको वापिस ले लिया जाय तो यह हाउस के कीमती समय के साथ ग्रौर जनता के रुपये के साथ खिलवाड़ करना ही होगा इसलिये मैं ग्रपने संशोधन विधेयक को वोटिंग के लिए प्रैस करता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: Does he want me to put it to the vote of the House?

Shri Yashpal Singh: Yes, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: What about the amendment of Shri Vishwa Nath Pandey?

Shri Vishwa Nath Pandey: I withdraw my amendment.

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, be taken into consideration."

The Lok Sabha divided.

Division No. 14] **AYES** [17 hrs.

Aney, Dr. M.S.
Bade, Shri
Kachhavaiya, Shri Hukam Chand
Kakkar, Shri Gauri Shanker
Kapur Singh, Shri
Shastri, Shri Prakash Vir
Singh, Shri Y.D.
Sinhasan Singh, Shri
Yashpal Singh, Shri

NOES

Akkamma Devi, Shrimati
Alva, Shri A.S.
Azad, Shri Bhagwat Jha
Babunath Singh, Shri
Basappa, Shri
Bhagavati, Shri
Brajeshwar, Shri
Chandrabhan Singh, Shri
Chandrasekhar, Shrimati
Das, Shri B.K.
Dass, Shri C.
Deshmukh, Shri B.D.
Dighe, Shri
Heda, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jyotishi, Shri J.P.
Kindar Lal, Shri
Koujalgi, Shri H.V.
Krishnamachari, Shri T.T.
Kureel, Shri B.N.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Lalit Sen, Shri
Malaichami, Shri
Mehrotra, Shri Braj Bihari
Mukane, Shri
Niranjan Lal, Shri
Pandey, Shri Vishwa Nath
Patil, Shri D.S.
Patil, Shri V.T.
Pattabhi Raman, Shri C.R.
Prabhakar, Shri Naval
Rai, Shrimati Sahodra Bai
Raj Bahadur, Shri
Rajaram, Shri
Rane, Shri
Samanta, Shri S.C.
Sen, Shri P.G.
Shree Narayan Das, Shri
Siddananjappa, Shri
Snatak, Shri Nardeo
Sumat Prasad, Shri
Tyagi, Shri
Vaishya, Shri M.B.
Verma, Shri Balgovind

Mr. Deputy-Speaker: The result of the Division is: Ayes 9; Noes 44.

The motion was negatived.

17.01 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of Articles* 1, 2, 3, 4 *etc.*)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, "मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले अपने संविधान (संशोधन) विधेयक 1965 को प्रस्तुत करता हूं ।"

इस विधेयक को उपस्थित करते समय मैं इस की पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं । भारत सरकार ने स्वतंत्रता से पहले, हमारी सत्तारूढ़ पार्टी ने, जो कुछ आश्वासन इस देश को दिये थे, विशेषकर, उस समय जबकि उन्होंने यह कहा था कि स्वतंत्र होने के बाद हम देश में भाषावार प्रान्तों का निर्माण करेंगे उस समय उस मे फंस कर वह निर्णय इस प्रकार का ले तो बैठे लेकिन इन निर्णयों का जो दुष्परिणाम हुआ और एक भाषा वाले प्रान्त ने दूसरे भाषा वालों को जिस दृष्टि से देखना आरम्भ किया उस भूल को सरकार ने बाद में स्वीकार किया और उस भूल का प्रायश्चित करने के लिए भारत सरकार ने दूसरा मार्ग निकाला और वह यह कि सारे देश को पांच भागों में विभक्त कर दिया जाय और पांच जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उन के कुछ अधिकार बढ़ा दिये जायें । जिस समय उन्होंने अधिकार बढ़ाने की बात सोची और इस का निर्णय किया . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि अब पांच बज चुके हैं इसलिए माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रखेंगे ।

17.01½ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTY-NINTH REPORT

Shri Rane (Buldana): I beg to present the Thirty-ninth Report of the Business Advisory Committee.

17.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, September 6, 1965/Bhadra 15, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS II—1114 (Ai) LSD—28-9-65—970.